



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122025-268210
CG-DL-E-03122025-268210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5379]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947

No. 5379]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5567(अ).— राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2006 (2006 का 28) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अध्वधीन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के शासी बोर्ड में श्रीमती एस. फान्गनॉन कोन्याक् सदस्य, राज्य सभा (निफ्ट अधिनियम, 2006 की धारा 3(3)(ख) के तहत माननीय सभापति, राज्य सभा द्वारा नामित) को सदस्य के रूप में इस राजपत्र के जारी होने की तिथि से 02.04.2028 तक कार्य करने के लिए नामांकन को अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 1/51/2006-निफ्ट(PT)]

रोहित कंसल, अपर सचिव

MINISTRY OF TEXTILES
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2025

S.O. 5567(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the National Institute of Fashion Technology Act, 2006 (No.28 of 2006), the Central Government hereby notifies the nomination of Shrimati S. Phangnon Konyak, Member, Rajya Sabha (nominated by Hon'ble Chairman, Rajya Sabha under Section 3(3)(b) of the NIFT Act, 2006) to serve as Member on the Board of Governors of the National Institute of Fashion Technology w.e.f. date of issuance of this notification and up to 02.04.2028 subject to the provisions of the said Act.

[F. No. 1/51/2006-NIFT(PT)]

ROHIT KANSAL, Addl. Secy.